।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 09.06.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 09.06.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री गोविन्द प्रसाद, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सुवालाल पहाड़िया, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 05 बंदियों का प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
पोसाराम उर्फ फौजदाराम पुत्र मोडाराम	के.का.जोधपुर	2291/2026	25.05.2026	02.06.2026
मनाराम पुत्र श्री जोताराम	के.का.जोधपुर	2285/2026	25.05.2026	02.06.2026
राजूराम उर्फ राजकुमार पुत्र रामूराम उर्फ रामलाल	के.का.जोधपुर	2116/2026	25.05.2026	02.06.2026
चेनाराम पुत्र कानाराम	के.का.जोधपुर	2117/2026	25.05.2026	02.06.2026
कैलाशचन्द्र पुत्र राम कुमार	के.का.जोधपुर	2115/2026	25.05.2026	29.05.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी पोसाराम उर्फ फौजदाराम पुत्र मोडाराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 28/2018 अंतर्गत धारा 363,366ए आई.पी.सी. 3/4 पोक्सो एक्ट में दिनांक 16.03.2019 को आजीवन साधारण कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2291/2026 पोसाराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 25.05.2026 पारित किया है कि " In the present case, since the rejection of the case of the petitioner is not made by passing a reasoned order, therefore, we deem it appropriate to remand the matter back to the competent authorities of the respondent department. In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra). In view of the submissions made before us, the present writ petition is also disposed of in the same terms as in the case of Mangilal (supra). "

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 1534/2026 निर्णय दिनांक 18.05.2026 तथा बंदी सुभाष एवं संदीप के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी पोसाराम उर्फ फौजदाराम पुत्र मोडाराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी मनाराम पुत्र श्री जोताराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 15/2018 अंतर्गत धारा 363,366ए,344 आई.पी.सी. 5(जी)/6

पोक्सो एक्ट में दिनांक 15.11.2018 को आजीवन साधारण कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2285/2026 मनाराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 25.05.2026 पारित किया है कि " In the present case, since the rejection of the case of the petitioner is not made by passing a reasoned order, therefore, we deem it appropriate to remand the matter back to the competent authorities of the respondent– department. In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra). In view of the submissions made before us, the present writ petition is also disposed of in the same terms as in the case of Mangilal (supra). "

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 1534/2026 निर्णय दिनांक 18.05.2026 तथा बंदी सुभाष एवं संदीप के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी मनाराम पुत्र श्री जोताराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी राजूराम उर्फ राजकुमार पुत्र रामूराम उर्फ रामलाल, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः–

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, मेड़तासिटी द्वारा प्रकरण संख्या 15/2017 अंतर्गत धारा 363,366 आई.पी.सी. 3/4 पोक्सो एक्ट में दिनांक 18.01.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2116/2026 राजूराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 25.05.2026 पारित किया है कि " In the present case, since the rejection of the case of the petitioner is not made by passing a reasoned order, therefore, we deem it appropriate to remand the matter back to the competent authorities of the respondent– department. In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra). In view of the submissions made before us, the present writ petition is also disposed of in the same terms as in the case of Mangilal (supra). "

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 1534/2026 निर्णय दिनांक 18.05.2026 तथा बंदी सुभाष एवं संदीप के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी राजूराम उर्फ राजकुमार पुत्र रामूराम उर्फ रामलाल** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. दण्डित बंदी चेनाराम पुत्र कानाराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः–

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, मेड़तासिटी द्वारा प्रकरण संख्या 82/2018 अंतर्गत धारा 366 आई.पी.सी. 3/4 पोक्सो एक्ट में दिनांक 15.10.2019 को आजीवन कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा पोक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2117/2026 चेनाराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 25.05.2026 पारित किया है कि " In the present case, since the rejection of the case of the petitioner is not made by passing a reasoned order, therefore, we deem it appropriate to remand the matter back to the competent authorities of the

respondent department. In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra). In view of the submissions made before us, the present writ petition is also disposed of in the same terms as in the case of Mangilal (supra)''

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 1534/2026 निर्णय दिनांक 18.05.2026 तथा बंदी सुभाष एवं संदीप के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी चेनाराम पुत्र कानाराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. दण्डित बंदी कैलाशचन्द्र पुत्र राम कुमार, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट न्यायालय, जोधपुर महानगर द्वारा प्रकरण संख्या 203/2018 अंतर्गत धारा 366ए,376कख,510 आई.पी.सी. में दिनांक 16.02.2019 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376कख आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2115/2026 कैलाशचन्द्र बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 25.05.2026 पारित किया है कि ''In the present case, since the rejection of the case of the petitioner is not made by passing a reasoned order, therefore, we deem it appropriate to remand the matter back to the competent authorities of the respondent department. In view of the discussions made above, the present criminal writ petition is disposed of. The impugned minutes of the meeting dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the

petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in the case of Subhash (supra) and Sandeep (supra). In view of the submissions made before us, the present writ petition is also disposed of in the same terms as in the case of Mangilal (supra)''

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में दायर रिट संख्या 1534/2026 निर्णय दिनांक 18.05.2026 तथा बंदी सुभाष एवं संदीप के अनुरूप इस प्रकरण में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा इन्हें कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी कैलाशचन्द्र पुत्र राम कुमार** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(पी.रामजी)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(सुवालाल पहाड़िया)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	अति.महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर